FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

अमरसिंह बनाम तहसीलदार बायतु

किस्म मुकदमा राजस्व अपील नं. 273/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/09/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/9/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
20/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु का नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 12/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	
12/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत नोसर में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस [illegible] व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड [illegible] लोकन करने के बाद प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] खुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:53 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीशसिंह आशिया R.A.S.)

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
अमरसिंह पुत्र परबतसिंह जाति पुरोहित निवासी चांदेसरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		तहसीलदार, बायतु

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

निर्णय

दिनांक : 12.11.2021

प्रार्थी अमरसिंह पुत्र परबतसिंह की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि मौजा जूना सोमेसरा पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 8.9395 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त खरीद करते समय निष्पादित विकय पत्र में प्रार्थी का अमरसिंह पुत्र परबतसिंह के स्थान पर अमराराम पुत्र परबताराम अंकित कर दिया गया। अतः राजस्व रेकर्ड में अमराराम के स्थान पर अमरसिंह करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जूना सोमेसरा	6	12	अमराराम पुत्र परबताराम	अमरसिंह पुत्र परबतसिंह

तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:53 IST
Reason: SelfAttested